दिल्ली वित्तीय निगम
नई दिल्ली

सामान्य नियम एवं शर्तें

1– निगम दृष्टिबंधित वाहनों की बिक्री हेतु जहां है जैसा है आधार पर सीलबंद 'निविदा–सह–नीलामी' आमंत्रित करता है ।

2– सीलबंद 'निविदा–सह–नीलामी' संलग्न प्रपत्र पर ही दिए जाने चाहिए ।

3– निविदादाता द्वारा दिल्ली वित्तीय निगम के नाम देय रु0 25,000/– का ड्राफट/पेआर्डर प्रतिवाहन – आटो रिक्शा/आर0टी0वी0/टैक्सी–एंबैसडर/मारुति/क्वालिस आदि व रु0 50000/–का ड्राफट/पे आर्डर बस, ट्रक आदि हेतु निविदा–सह–नीलामी प्रपत्र के साथ सील बंद लिफाफे के उपर संख्या.................. वाहन क्रय करने के लिए निविदा 'निगम की निविदा पेटी में' निविदा जमा करने की तिथि व समय पर अथवा पूर्व डाले जाने चाहिए ।

4–प्राप्त की गई सीलबंद 'निविदा–सह–नीलामी' प्रपत्र निर्धारित तिथि व समय पर निगम के कार्यालय में खोली जाएगी, जहां निविदादाता स्वयं यदि आवश्यक हुआ, दी गई निविदा राशि अथवा बोली को बढ़ाने के लिए स्वयं उपस्थित हो सकते हैं ।

5–निविदा सभी निविदादाताओं के सम्मुख खोली जाएगी । निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो कि निविदा खोलने के दौरान निविदा कमेटी बैठक में उपस्थित होंगें, प्राप्त की गई निविदा राशि/बोली/नीलामी राशि प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेंगें ।

6–ऋणधारको /जमानितियों अथवा उनके द्वारा लाए गए प्रतिनिधियों को निविदा खोलने की कमेटी के सम्मुख प्राप्त की गई उंची बोली/ निविदा राशि से उंची बोली लगाने का अधिकार होगा, जिसके अन्तर्गत वे 25 प्रतिशत लगाई गई बोली व स्वीकृत निविदा राशि नकद/पे आर्डर/बैंक ड्राफट द्वारा कर सकते हैं ।

7– वाहन बिक्री की पुष्टि, उंची बोली लगाने वाले/ निविदा राशि निविदादाता के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ही समझी जाएगी ।

8– निविदादाता तुरंत कमेटी द्वारा स्वीकृत उंची बोली का 25 प्रतिशत निविदा राशि को धटाकर निर्धारित समय तिथि व स्थान पर जमा करेगा । यदि वह उपरोक्त राशि जमा नहीं करता तब निविदादाता द्वारा जमा किए गए बयाने (ई.एम.डी.) की राशि जब्त कर ली जाएगी व वाहन को निविदा कमेटी के सम्मुख उपस्थित अन्य निविदादाताओं को बिक्री हेतु रखा जाएगा ।शेष बिक्री राशि, उंची बोली का 75 प्रतिशत वाहन क्रय दाता द्वारा उनको वाहन बिक्री की पुष्टि सूचना पत्र के भेजे जाने की तिथि से 7 दिन के भीतर जमा करने होंगें अथवा/और अन्य विस्तार, जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है, मानने को बाध्य होंगे । यदि वाहन नीलामी क्रय दाता शेष बिक्री राशि की निश्चित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तब उसके द्वारा जमा की गई 25 प्रतिशत की राशि जब्त कर ली जाएगी व वाहन की बिक्री निगम द्वारा जैसा उचित समझा जाएगा, किया जाएगा ।

9– क्रय किए गए वाहन पर अन्य देय राशि / वैद्यानिक दायित्व और अन्य प्रभार आदि निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किए जाएंगें व निविददाता द्वारा वाहन क्रय करने के लिए लगाई गई उच्चतम बोली से,उसका किसी भी प्रकार से कोई संबध नही होगा ।

10– निगम को किसी भी निविदा / बोली अथवा सभी निविदाओं / बोलियों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा ।

11– निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को किसी भी वाहन को या सभी वाहनों को जो कि बिक्री हेतु रखे गए हैं को बिना कोई कारण बताए बिक्री सूची से निकालने का अधिकार है। इन परिस्थितियों में निविदादाता से वाहन क्रय हेतु प्राप्त की गई बयाना राशि (ई.एम.डी.) अथवा अन्य राशि जैसा भी मामला होगा, वापिस कर दी जाएगी ।